

कार्यालय कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव म0प्र0
शासन, राजस्व विभाग

प्र0क0 03अ-82/2017-18 मौजा रातामाटी /9254 बैतूल दिनांक - 7-8-2018

घोषणा

चूँके समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैंसदेही	रातामाटी	8.685	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 2, बैतूल (म0प्र0)	प्रभुढाना लंघु जलाशय

अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)

क.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	देवकी जौ जौ सद्दू गौली सा. देह भूमिस्वामी	419 420	0.376 4.509	0.376 1.850
2	लक्ष्मण, जगन, मदन, नारायण व. किसना जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	421/1 422/1 515/4	7.455	2.500
3	वमनराव व. शंकर जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	421/2 422/2 515/5	2.452	0.550
4	गेहसिंग ब. ठुन्नु जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	509/1 510/1	1.708	0.150
5	सुदामासिंग ब. आनंदसिंग राजपूत सा. देह भूमिस्वामी	509/2	1.649	0.120

6	बलराम नत्थू पवार सा. देह भूमिस्वामी	511	0.469	0.469
7	अंकुश ब. तुलसीराम, पार्वती बे. तुलसी मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	516/1	1.939	0.150
8	नत्थू ब. महेश घुड़िया चिंधी पुत्री घुड़िया मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	516/2	1.432	0.200
9	लंकेश ब. मंहगया, लीली, कला, गुन्ता पिता मंहगया मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	553/1	1.330	0.725
10	दिनेश ब. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पिता मंहगया मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	553/2	1.329	0.725
11	अजाबराव ब. श्यामराव कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	350/1	2.962	0.200
12	जगदीश ब. श्यामराव कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	350/2	2.963	0.200
13	चिमन ब. लालसिंग गौंड सा. देह भूमिस्वामी	348/1	0.755	0.085
14	भिककू, हिम्मत ब. लालसिंग दस्सू पिता लालसिंग गौंड सा. देह भूमिस्वामी	348/3	2.265	0.255
15	रज्जू, रजमा पिता रायसिंग गौंड सा. देह भूमिस्वामी	349/3	1.510	0.130
	योग:-	-	35.103	8.685

- (1) चूंकि प्रभुढाना लघु जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(शिशक मिश्र) 278

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



पृ०क० 3 अ-82/2017-18 रातामाटी /5254 बैतूल दिनांक 7 - 08-2018
प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क०-2 बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम रातामाटी तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग